209

संख्या— /XXVIII—5—2014—116/2008

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग— 5 देहरादून, दिनांकः 15 जनवरी, 2014

**विषयः राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, बसुकेदार, जनपद रूद्रप्रयाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तुत विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—7प / 1 / एस0ए0डी0 / 21 / 08 / 26811 दिनांक 28.09.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, बसुकेदार जनपद रूद्रप्रयाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों को कराये जाने हेतु प्रस्तुत आगणन ₹156 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0, वित्त द्वारा संस्तुत धनराशि ₹1.34 लाख पर शासनादेश संख्या—1612 / XXVIII—5—2011—116 / 2008 दिनांक 24.12.2011 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि अवमुक्त की गई है। निर्माण इकाई द्वारा प्रश्नगत योजना हेतु विस्तृत आगणन उपलब्ध कराया गया है, जिसका टी0ए0सी0, वित्त विभाग द्वारा परीक्षण करते हुए आगणन ₹108.97 लाख के सापेक्ष सिविल कार्यों हेतु धनराशि ₹106.30 लाख एवं अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यो हेतु ₹1.02 लाख अर्थात कुल ₹107.32 लाख की संस्तुति की गई है। अतः धनराशि **₹107.32 लाख (रूपये एक करोड़ सात लाख बत्तीस हजार मात्र)** पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किशत के रूप में **₹50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र)** आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में सुनिश्चित होने के उपरान्त ही आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई,उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीकोट, श्रीनगर, पौडी गढवाल को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
5. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. कार्यदायी संस्था के साथ वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—475 / XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कर समय सारणी निर्धारित

करते हुये कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना सुचिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में आगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

7. सिविल कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यों अनुमानित लागत ₹1.02 लाख के कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुपालन करते हुए किया जाए।
8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
9. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरुप ही कार्य कराया जाये।
10. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेस चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।
11. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
12. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय –00–आयोजनागत– 07–एलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण, 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–128(पी)/XXVII(3)/2013–14 दिनांक 13 जनवरी, 2014 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

**संलग्नकः–एलॉटमेंट आई0डी0 सं0–S1401120100**

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

**संख्या-74 (1)/ XXVIII–5–2014–116/2008 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. कमिश्नर, गढवाल/जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
6. मुख्य चिकित्साधिकारी, रूद्रप्रयाग।
7. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, श्रीकोट, श्रीनगर, गढवाल।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

(अतर सिंह)
उप सचिव।